झारखड गजट

असाधारण अंक

झारखड सरकार वारा काशत

सं या349 राँची ,सोमवार

6 ावण 1936 (श०)

28जुलाई, 2014 (ई०)

नगर वकास वभाग

अ"धसूचना

17 जुलाई, 2014

संया-7/न०व०/गठन/107/2013-3330--झारख)ड नगरपा-लका अ"ध/नयम-2011

2वारा 3द5त शि8तय9 का 3योग करते हुए झारख)ड के रा=यपाल एत2 2वारा ********झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> /नयमावल?]]]] **2014**" अ"धसू"चत करते है।

2. यह /नयमावल? अ"धसूचना /नग>त होने क1 /त"थ से 3भावी होगी।

झारख)ड के रा=यपाल के आदेश से,
अजय कुमार संह,
सरकार के
स"चव।

झारखड नगरपालका सेवा संवग, -नयमावल., 2014

भारत का संHवधान के अनुछेद 309 मK 3द5त शि8तय9 का उपयोग करते हुए, झारख)ड के रा=यपाल, झारख)ड नगरपा-लका अ"ध/नयम, 2011 क1 धारा 62 (1) के अMतग>त नगर /नगम, नगर पष>द, नगर पंचायत, नगरपा-लका तथा अ"धसू"चत OेP स-म/त के पदा"धकाQरय9 एवं कम>चाQरय9 के -लए ''झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> /नयमावल?, 2014'' अ"धसू"चत करते हR:

अTयाय-1

(3ारं-भक)

1. संUOVत नाम तथा 3ारंभ:-

(1) यह /नयमावल? ''झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> /नयमावल?, 2014'' कहलायेगी।

(2) इसका HवYतार झारख)ड रा=य के समYत शहर? Yथानीय /नकाय9 मK होगा।

(3) यह /नयमावल? झारख)ड नगरपा-लका अ"ध/नयम, 2011 क1 धारा-590 (4) के 3ावधान9 के अTयधीन 3भावी होगी।

2. पQरभाषाएं:

जब तक संदभ> से अMयथा अपेUOत न हो, इस /नयमावल? मK :

(क) ''अ"ध/नयम'' से अ-भ3ेत है, झारख)ड नगरपा-लका अ"ध/नयम, 2011

(ख) ''धारा'' से अ-भ3ेत है, उ8त अ"ध/नयम क1 धारा,

(ग) ''Hवभाग या 3शासी Hवभाग'' से अ-भ3ेत है, नगर Hवकास Hवभाग,

(घ) ''/नयमावल?'' से अ-भ3ेत है, शहर? Yथानीय /नकाय के संवग> के पदा"धकाQरय9/ कम>चाQरय9 क1 /नयुि8त,

3ोMन/त, अनुशास/नक कार>वाई तथा अMय सेवा-शत] क1 /नयमावल?।

(ड.) ''/नयुि8त पदा"धकार?'' से अ-भ3ेत है, अ"ध/नयम क1 धारा 57 एवं 62 (2) के तहत /नदेशक, नगर?य 3शासन /नदेशालय,

(च) ''पद'' से अ-भ3ेत है, अ"ध/नयम क1 धारा 55 (1) के तहत नगर /नकाय9 के -लए समय-समय पर रा=य सरकार 2वारा सृिजत एवं सृिजत _कये जाने वाले पद,

झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014 3

(छ) ''नगरपा-लका'' से अ-भ3ेत है, संHवधान के अनुाछेद 243 (फ) के तहत् (रा=य सरकार के नगर Hवकास Hवभाग 2वारा अ"धसू"चत) सभी शहर? Yथानीय /नकाय (नगर /नगम/नगर पQरष2/नगर पंचायत/ नगरपा-लका/ अ"धसू"चत OेP स-म/त)

(ज) ''नगरपा-लका सेवा संवग>'' से अ-भ3ेत है, रा=य के शहर? Yथानीय /नकाय9 के पदा"धकार? एवं कम>चार? का संवग>।

(झ) "अनुसूची" से अ-भ3ेत है, इस /नयमावल? के साथ संलbन अनुसूची (Annexure)

(ञ) "स-म/त" से अ-भ3ेत है, शहर? Yथानीय /नकाय9 के Hव-भMन पद9 पर /नयुि8त/ 3ोMन/त के -लए गdठत स-म/त ।

(ट) "आयोग" से अ-भ3ेत है, /नयुि8त के -लए रा=य सरकार 2वारा गdठत झारख)ड लोक सेवा आयोग/झारख)ड कम>चार? चयन आयोग।

(ठ) ''सीधी भतf या /नयुि8त'' से अ-भ3ेत है, इस /नयमावल? के अधीन गdठत सेवा संवग] के पद9 पर झारख)ड लोक सेवा आयोग एवं झारख)ड कम>चार? चयन आयोग क1 अनुशंसा पर /नयुि8त।

(ड) ''माMयता 3ाIVत संYथान'' से अ-भ3ेत है, भारत सरकार/रा=य सरकार 2वारा अgखल भारतीय तकनीक1 -शOा पQरषद/भारतीय "च_क5सा पQरषद से माMयता 3ाIVत शैOgणक संYथान।

(ढ़) उन शiद9 तथा पद9 के HवMयास िजनका इस /नयमावल? मK 3यु8त _कया गया है _कMतु पQरभाHषत नह?ं है, का वह?ं अथ> होगा, जो अ"ध/नयम मK उसके -लए 3यु8त ह9गी।

अTयाय-2

(संवग> का गठन एवं संरचना)

3. झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> का गठन:

3.1 झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> का गठन अनुसूची-1 मK /नdहत संवगfय पद9 पर /नयु8त एवं 3ोMनत क-म>य9 को सिjम-लत कर होगा।

4. संवग> क1 संया और संरचना:

4.1 /नयम-3 के अधीन गdठत संवग] क1 संया और संरचना का अवधारण रा=य सरकार के नगर Hवकास Hवभाग 2वारा समय-समय पर आवाYयकतानुसार _कया जाएगा और इसे राजपP मK 3का-शत _कया जाएगा और जब तक ऐसा

4 झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014

3काशन नह?ं हो जाता है, तब तक यह इस /नयमावल? मK अथवा इसके गठन होने के ठnक पहले 3वृत िYथ/त मK बना रहेगा।

4.2 नगर Hवकास Hवभाग, झारख)ड सरकार के 2वारा समय-समय पर आवाYयकतानुसार झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> के Yवीकृत बल का पुन/न>धारण तथा Yथायी पद9 का सृजन Hव"धवत् _कया जा सकेगा।

5. झारख)ड नगरपा-लका संवग] के Hव-भMन ेणी के पद9 का वगfकरण तथा /नयुि8त 3ा"धकार:

5.1 झारख)ड नगरपा-लका संवग] के Hव-भMन ेणी के पद9 का वगfकरण तथा /नयुि8त 3ा"धकार संलbन अनुसूची के अनुसार Hवdहत होगा।

6. नगरपा-लका /नयुि8त 3ा"धकार? एवं उसका OेPा"धकार:-

6.1 /नदेशक नगर?य 3शासन /नदेशालय, झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> के Hव-भMन ेणी के पद9 पर पदा"धकाQरय9 एवं क-म>य9 क1 /नयुि8त करेगा।

6.2 क-म>य9 क1 3िYथ/त (Status) एवं वेतनः- य2यHप झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> /नयमावल?, 2014 के तहत पदा"धकाQरय9 एवं क-म>य9 क1 /नयुि8त /नदेशक नगर?य 3शासन /नदेशालय 2वारा _कया जाएगा परMतु वे _कसी

भी तरह से रा=य सरकार के पदा"धकार?/कमf नह?ं ह9गे। झारख)ड नगरपा-लका अ"ध/नयम, 2011 क1 धारा-56 (1) के तहत वे नगरपा-लका के कमf ह9गे। झारख)ड नगरपा-लका अ"ध/नयम क1 धारा-58 (1) एवं (2) के अTयधीन संबं"धत Yथानीय नगर /नकाय इन क-म>य9 के वेतन, भ5ते एवं पKशन इ5यादd के -लए सीधे तौर पर िजjमेवार ह9गे। अगर शहर? Yथानीय /नकाय के तहत पदYथाHपत क-म>य9 का वेतन भ5ता इ5यादd देने मK संबं"धत /नकाय असफल होते है तो रा=य सरकार YवHववेक से आनुपा/तक आवंटन काट कर O/तपूरक अनुदान के pप मK संबं"धत Yथानीय नगर /नकाय को मदद के तौर पर Hवमु8त कर सकेगी।

6.3 सेवा मK सिjम-लत पद9 को अनुसूची मK अMतHव>qट /नबrधन9 (Restrictions) के अTयधीन रहते हुए सीधी भतf अथवा 3ोMन/त 2वारा भरा जाएगा।

परंतु यह _क Hवशेष पQरिYथ/त एवं आवाकयतानुसार /नयुि8त 3ा"धकार? के 3Yताव पर _कसी शहर? Yथानीय /नकाय के मामले मK रा=य सरकार अपने आदेश 2वारा अनुसूची क1 3Hविqटय9 मK संशोधन कर सकेेगी।

6.4 3ोMन/त 2वारा भरे जाने वाले पद9 के -लए स"चव, नगर Hवकास Hवभाग एवं /नदेशक, नगर?य 3शासन /नदेशालय क1 अTयOता मK अलग-अलग 3ोMन/त स-म/त का गठन Hवभाग 2वारा रा=य सरकार के /नयम9 के आलोक मK _कया जायेगा।

झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014 5

6.5 उ8त 3ोMन/त स-म/त क1 अनुशंसा के आधार पर झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग] के Hव-भMन ेणी के पद9 पर 3ोMन/त पदसोपान के अनुसार अनुमाMय होगी।

7. Qरि8तय9 का /नधा>रण एवं संसूचन:

35येक वष> क1 31dदसjबर तक क1 कुल Qर8तय9 क1 संया, िजसमK अनुसू"चत जा/त, अनुसू"चत जनजा/त तथा अMय Hपछड़ा वग> ेणी के -लए आरUOत पद9 क1 संया अवधाQरत कर _कया जायेगा तथा इसक1 सूचना /नयुि8त हेतु अगले वष> क1 31 जनवर? तक झारख)ड लोक सेवा आयोग/कम>चार? चयन आयोग को द? जा सकK गी।

8. आरOण:

झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग> मK सीधी भतf एवं 3ोMन/त 2वारा भरे जाने वाले मूल पद एवं उाचतर ेणी के पद9 मK आरOण का लाभ का-म>क, 3शास/नक सुधार तथा राजभाषा Hवभाग, झारख)ड सरकार 2वारा समय-समय पर /नधा>Qरत आरOण नी/त के अनुसार dदया जायेगा।

अTयाय-3

(सीधी भतf//नयुि8त)

9. सीधी भतf हेतु शैOgणक योbयता एवं अह>ता:

9.1 आयु सीमा: उjमीदवार क1 आयु Mयूनतम 21 वष> एवं अ"धकतम वह? होगी जो रा=य सरकार 2वारा समय-समय पर /नधा>Qरत क1 जायेगी। आयु /नधा>रण हेतु कट-ऑफ-डेट अ"धयाचना वष> क1 01ल? अगYत को होगी।

9.2 आयु सीमा मK छूट:- का-म>क, 3शास/नक सुधार तथा राजभाषा Hवभाग के 2वारा समय-समय पर /नग>त ए5द संबंधी आदेश लागू ह9गे। ले_कन संHवदा पर /नयु8त एवं दै/नक कमf को उv सीमा मK छूट देय नह?ं होगा।

9.3 Mयूनतम शैOgणक योbयता:- कोई wयि8त सीधी भतf 2वारा तब तक /नयु8त नह?ं _कया जाएगा जब तक _क वह Hव-भMन ेणी के पद9 के अनुpप अनुसूची मK /नdहत Mयूनतम शैOgणक योbयता न रखता हो। पर?Oा के -लए आवेदन देने के समय अं/तम तार?ख को Mयूनतम शैOgणक योbयता अ/नवाय>तः 3ाIVत कर -लये हो।

10. आयोग/चयन आयोग 2वारा अxय"थ>य9 क1 अनुशंसा:

10.1 Hवभाग//नदेशालय 2वारा अ"धया"चत मूल कोdट क1 Qरि8तय9 के आधार पर झारख)ड लोक सेवा आयोग/झारख)ड कम>चार? चयन आयोग के 2वारा Hवyापन /नकालकर योbय अxय"थ>य9 से आवेदन-पP आमंzPत _कये जाऐंगे।

6 झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014

10.2 झारख)ड लोक सेवा आयोग क1 अनुशंसा पर /नयु8त _कये जाने वाले पद9 के Hवp{ अxय"थ>य9 क1 शैOgणक योbयता के अनुpप आयोग 2वारा -लgखत पर?O◌ा एवं अMतवfO◌ा आयो◌िजत क1 जायेगी।

इसी 3कार झारख)ड कम>चार? चयन आयोग क1 अनुशंसा पर /नयु8त _कये जाने वाले पद9 के -लए अxय"थ>य9 क1 शैOgणक योbयता के अनुpप चयन आयोग 2वारा -लgखत पर?O◌ा एवं अMतवfO◌ा आयो◌िजत क1 जायेगी। आयो◌िजत क1 जाने वाल? पर?O◌ा मK अxय"थ>य9 के कुल 3◌IVत अंक9 के आधार पर मेधा सूची तैयार क1 जायेगी।

परMतु मेधा सूची मK 3Hवि्qट के -लए Mयूनतम कट-ऑफ मा8स> का /नधा>रण का-म>क, 3शास/नक सुधार तथा राजभाषा Hवभाग के संक|प संया 13026dदनांक 27 नवjबर,2012 एवं काल}म मK समय समय पर /नग>त /नदेश9 के अTयधीन होगा।

10.3 उपयु>8त कं~डका 10.2 के 3◌ावधान9 के आलोक मK कुल 3◌IVतांक9 के आधार पर तैयार क1 गयी मेधा सूची के अनुसार आयोग/चयन आयोग /नयु◌ि8त हेतु अनुशंसा करेगा।

10.4 उपयु>8त कं~डका 10.3 के }म मK मेधा सूची तैयार करने के दौरान यdद दो अथवा दो से अ"धक अxय"थ>य9 के कुल 3◌IVतांक समान हो तो उIचतर शैOgणक योbयता को आधार मानकर मेधा सूची तैयार क1 जायेगी।

इसके उपरांत भी यdद 3◌IVतांक एवं शैOgणक योbयता समान हो तो अ"धक उv वाले अxयथf को मेधा }म मK ऊपर रखा जायेगा।

10.5 लोक सेवा आयोग/कम>चार? चयन आयोग क1 अनुशंसा के आलोक मK चय/नत अxय"थ>य9 क1 /नयु◌ि8त सOम 3◌ा"धकार 2वारा क1 जाएगी।

10.6 लोक सेवा आयोग/कम>चार? चयन आयोग से अनुशं-सत अxय"थ>य9 को /नयु◌ि8त के समय YवाY□य जाँच 3माण-पP समHप>त करना अ/नवाय> होगा, जो असै/नक श|य "च_क5सक-सह-मुय "च_क5सा पदा"धकार? अथवा उनके 2वारा 3◌ा"धकृत "च_क5सक 2वारा dदया गया हो।

10.7 लोक सेवा आयोग/कम>चार? चयन आयोग 2वारा अनुशं-सत मेधा सूची HवभागाMतग>त 3◌ा◌िVत क1 /त"थ से एक वष> तक ह? वैध रहेगी। परMतु सOम Mयायालय के आदेश से मेधा सूची यdद आIछाdदत होगी तो उसक1 बैधता आगे तक बनी रहेगी।

10.8 /नयु◌ि8त क1 अ"धयाचना के अनुpप आयोग क1 अनुशंसा के बाद यdद कोई अxयथf /नधा>Qरत समय सीमा के अMदर योगदान नह? देता है, तो उस Qरि8त को अगले वष> के -लए अ□gणत क1 जायेगी।

10.9 सेवा संवग] के Hव-भMन ◌ेणी के पद9 पर लोक सेवा आयोग/कम>चार? चयन आयोग 2वारा सीधी /नयु◌ि8त के -लए आयो◌िजत क1 जाने वाल? पर?O◌ा के Hवषय, पा□य}म, पूणा◌ंक आdद Hवभाग 2वारा अ"धसूचना के माTयम से Hवdहत _कये जायKगे।

अTयाय-4

(3◌ोMन/त)

11. पर?□यमान अव"ध, 3-शOण एवं सjपुि◌qट:

11.1 मूल ◌ेणी के पद पर /नयु◌ि8त क1 /त"थ से 2 वष> तक पर?□यमान क1 अव"ध होगी। उ8त अव"ध मK अपेUOत 3-शOण सफलतापूव>क 3◌IVत करने, Hवभागीय पर?O◌ा मK उ5तीण> होने एवं पर?□यमान अव"ध का सP पूरा करने के उपराMत ह? सेवा सjपुि◌qट क1 जायेगी।

11.2 मूल ◌ेणी के पद पर /नयु8त पदा"धकार?/कम>चार? को /नयु◌ि8त पदा"धकार? 2वारा 3-शOण के -लए काय>}म तय _कया जायेगा एवं /नधा>Qरत काय>}म के अनुसार 3-शUOत _कया जायेगा।

11.3 केM,, ?य पर?O◌ा स-म/त (कर पष>द) 2वारा /नधा>Qरत मापद)ड के अनुसार पदा"धकाQरय9 एवं कम>चाQरय9 को झारख)ड सjपि5त कर पष>द 2वारा आयो◌िजत Hवभागीय पर?O◌ा मK उ5तीण> होना अ/नवाय> होगा। अनु5तीण> होन पर पर?O◌ा मK दो बार सि्jम-लत होने के अवसर dदया जायेगा।

11.4 पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 क1 /नयु◌ि8त के पाचात् 3थम वेतन वृH{ dहMद? dटVपण एवं 3◌Ipपण पर?O◌ा मK उ5तीण>ता के पाचात् अनुमाMय होगा।

12. वर?यता का /नधा>रण:

12.1 आयोग/चयन आयोग 2वारा अनुशं-सत एवं सीधे /नयु8त पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 क1 आपसी वर?यता

मेधानु}म मK /नधा>Qरत होगी।

12.2 3ोMन/त 3ोIVत पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 क1 वर?यता उनक1 पूव> क1 पारYपQरक वर?यता के अनुसार /नधा>Qरत

होगी।

12.3 सीधी /नयुि8त वाले पदा"धकार?/कम>चार?, जो 3ोMन/त 3ोIVत पदा"धकार?गण के योगदान क1 /त"थ को यdद

योगदान देते हR, तो ऐसे पदा"धकार? 3ोMन/त 3ोIVत पदा"धकाQरय9 से कनीय ह9गे एवं उनक1 पारYपQरक वर?यता का /नधा>रण उनक1 मूल ेणी के पद पर /नयुि8त के समय 3का-शत अं/तम वर?यता सूची के आधार पर _कया जाएगा।

8 झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014

13. 3ोMन/त:

13.1 झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग] के Hव-भMन ेणी मK /नयु8त कम>चाQरय9 को उaचतर पद पर 3ोMन/त के -लए Hवभाग एवं /नदेशालय Yतर पर दो अलग अलग 3ोMन/त स-म/तय9 का गठन _कया जायेगा।

3ोMन/त के -लए अपेUOत अह>5ताएँ पूण> करने पर अनुसूची मK वgण>त Hवdहत 3ा"धकार 2वारा 3ोMन/त द? जायेगी।

13.2 कालाव"ध-

झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग] के Hव-भMन ेणी के पद9 मK 3ोMन/त के -लए Hवचारण OेP मK आने के 3योजनाथ>

का-म>क, 3शास/नक सुधार तथा राजभाषा Hवभाग के संक|प संया 398dदनांक 16 जनवर?, 2012 एवं समय समय पर सरकार 2वारा /नधा>Qरत कालाव"ध माMय होगी।

अTयाय- 5

(HवHवध)

14. पदYथापन एवं Yथानांतरण:

14.1 झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग] के Hव-भMन ेणी के पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 का पदYथापन अपने संवग>

मK होगा।

14.2 सेवा संवग> मK /नयु8त पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 का पदYथापन एवं Yथानांतरण सjपूण> रा=य मK एक /नकाय

से दूसरे /नकाय मK _कया जा सकेगा।

परMतु यह _क 3शास/नक संवग>, -सHवल एवं यांzPक अ-भयंPण संवग> एवं Hव2युत अ-भयंPण संवग> अMतग>त राजपzPत

पदा"धकाQरय9 का पदYथापन एवं YथानाMतरण /नदेशालय क1 अनुशंसा के आलोक मK Hवभाग Yतर से _कया जा सकेगा।

परMतु यह _क सभी संवग> के राजपzPत पदा"धकाQरय9 के अलावा शेष सभी संवग> के राजपzPत पदा"धकाQरय9 को छोड़कर सभी पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 का YथानाMतरण एवं पदYथापन संबं"धत शहर? Yथानीय /नकाय के पष>द 2वारा

क1 गयी अनुशंसा पर /नदेशक, नगर?य 3शासन के Yतर से _कया जा सकेगा।

14.3 सामाMयतया पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 का YथानाMतरण एक Yथान पर तीन वष] तक काय>रत रहने के उपरांत

ह? _कया जायेगा, परMतु सरकार Hवशेष पQरYथ/त मK एवं अMय 3शास/नक कारण9 से तीन वष> के पूव> भी YथानाMतरण

कर सकेगी।

झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014 9

14.4 Hवभाग एवं /नदेशालय Yतर पर गdठत Yथापना स-म/त क1 अनुशंसा के आलोक मK संवगfय

पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 का सामाMय YथानाMतरण एवं पदYथापन _कया जा सकेगा।

15 3/त/नयुि8त:

15.1 इस संवग> के सदYय9 को रा=य के अMदर या बाहर पदYथापन एवं 3/त/नयुि8त के संबंध मK रा=य सरकार के /नयम लागू ह9गे।

15.2 झारख)ड नगरपा-लका सेवा संवग] के Hव-भMन ्ेणी के पद9 पर /नय-मत /नयुि8त नह?ं होने क1 िYथ/त मK रा=य सरकार अMय Hवभाग9 से आवायकतानुसार सेवा 3ाIवत कर पदYथापन/3/त/नयु8त कर सकेगी।

16. वेतन-भ5ते एवं पKशन:

झारख)ड नगरपा-लका संवग] मK /नयु8त क-म>य9 को अनुमाMय वेतन एवं भ5ता इस /नयमावल? क1 अनुसूची मK Hवdहत एवं सरकार 2वारा समय-समय पर /नधा>Qरत वेतनमान के अनुpप होगा।

17 अMय सेवा शत□:

17.1 इस संवग> के -लए अMय सेवा शत□, यथा-अनुशास/नक कार>वाई, छु□ी, वेतन, इ5याdद, जो इस /नयमावल? मK Hवdहत नह?ं है या इस सेवा के -लए अलग से अ"धसू"चत नह?ं हR, के संबंध मK रा=य सरकार के सरकार? सेवक9 के -लए पूव> से लागू 3ावधान9 से /नयंzPत होगी।

18. /नयुि8त 3ा"धकार का /नयंPण:

18.1 झारख)ड नगरपा-लका संवग] मK /नयु8त पदा"धकार?/कम>चार? अं/तम pप से 3शासी Hवभाग, यथा - नगर Hवकास Hवभाग के /नयंPणाधीन ह9गे।

19. अनुशास/नक कार>वाई:

19.1 इस संवग> मK अनुशास/नक कार>वाई के 3योजनाथ> अनुसूची मK यथावgण>त असै/नक सेवायK (वगfकरण, /नयंPण एवं अपील) /नयमावल?, 1930 तथा zबहार एवं उड़ीसा अवर सेवाऐं (अनुशासन एवं अपील) /नयमावल?, 1935 (अंगीकृत) एवं समय-समय पर सरकार 2वारा लागू /नयम 3भावी ह9गे।

19.2 इस सेवा संवग> के पदा"धकाQरय9/कम>चाQरय9 क1 सेवा के संबंध मK YवIछता 3माण-पP का-म>क, 3शास/नक सुधार तथा राजभाषा Hवभाग 2वारा /नग>त /नदेश9 के अTयधीन होगा। साथ ह? समय-समय पर नगर Hवकास Hवभाग के 2वारा इस संबंध मK जार? dदशा /नद□श भी 3भावी होगी।

10 झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014

19.3 समय-समय पर संवग> 3बंधन के □िqटकोण से तथा /नकाय9 के काय> संपादन को 3भावी बनाने हेतु नगर Hवकास Hवभाग 2वारा जार? dदशा /नद□श 3भावी होगा।

20. /नरसन एवं wयावृ/त:

20.1 इस /नयमावल? के 3भावी होने क1 /त"थ से सभी 3ासं"गक पQरपP//नण>य /नर-सत समझे जायKगK।

20.2 ऐसा /नरसन के बावजूद इस /नयमावल? के 3भावी होने के पूव> इस सेवा के संबंध मK -लये गये /नण>य9 को यह माना जायेगा _क सभी /नण>य इस /नयमावल? के अधीन -लये गये हR।

20.3 रा=य सरकार 3शासी Hवभाग के माTयम से इस /नयमावल? के _कसी 3ावधान को संशो"धत करने क1 शि8त रखती है तथा _कसी 3कार क1 शंका के /नवारण हेतु /नदेश/पQरपP /नग>त कर सकती है और उसका Hव/नाचय अं/तम होगा।

21. /नव>चन (**Interpretation**):- इन /नयम9 के /नव>चन के संबंध मK यdद कोई 3ान उ□ूत होता है तो वह Hवभाग 2वारा Hव/नdद>qट _कया जाएगा और ऐसा Hव/नाचय अं/तम होगा।

22. -श"थल?करण (**Relaxation**):- इस /नयमावल? के उपबंध9 को लागू करने के /न-म5त जहाँ कह?ं भी कdठनाई या □म क1 िYथ/त उ5पMन होती है, तो सOM 3ा"धकार? ऐसी र?/त या शत> जो उसे Mयाय संगत 3तीत नह?ं होता है, कार>वाई करने क1 शि8त को सी-मत या कम कर सकती है।

परMतु, ऐसी कार>वाई करने के पूव> रा=य सरकार क1 पूवा>नुम/त आवायक होगी, अथा>त् _कसी भी /नयम/शत] को -श"थल करने क1 शि8त रा=य सरकार मK /नdहत होगी।

झारख)ड रा=यपाल के आदेश से,

अजय कुमार संह,
सरकार के स"चव।

4 अपर नगर आयु8त

		वेतनमान / पे –बRड क1 □ैड- पे 3 4	Yवीकृत पद9 एवं संया	3 Mयूनतम शैOgणक	अनुसूची-1(क) 3 शास/नक संवग>
पद9 के नाम2	**P G**	**P B-II -9300-34800 G.P.-5400**	09 43	योbयता / अहता> 5 सीधी भतf के पद _कसी माMयता 3◌IVत HवावHव2यालय से Yनातक।	पद ◌IVत नातक।
		PB-**III**-15600- 39100 G.P.-6600 PB-**III**-15600-	07 04	3◌ोMन/त के 3थम सौपान 3◌ोMन/त के 2Hवतीय	◌ौपान य
		39100 G.P.-7600		सौपान	

अ
नु
शं
सा

प
र

स
भी

प

द

उ
प

न
ग
र

प
दा
"
ध
का
र
?

/

H
व
शे
ष

प
दा
"
ध
का
र
?

आ
यु
8
त

क
1

3
ो
M
न
/
त

से

H
व
भा
ग

अ
नु
शं
सा

प
र

स
भी

प
द

स
हा
य
क

H
व
भा
गी
य

3
ो
M
न
/
त

स
-
म
/
त

क
1

क
1

3
ो
ना
ि
5
त

से

H
व
भा
ग

2
वा
रा

न
ग

र

आ
यु
8
त

ए
वं

का
य
>
पा
ल
क

2
वा
रा

भ
रे

जा
य
K
गे

भ
रे

जा
य
K
गे

सेवा संवग> मK

अनुशास/नक कार>वाई

}ं0 सिj म-लत

/नयो8ता

हेतु संगत /नयमावल?

1

6

1 सहायक
नगर
आयु8त

असै/नक सेवायK

2काय>पालक
आयोग क1
सुधार तथा

झारख)ड लोक सेवा
का-म>क 3शास/नक

(वगfकरण/नयंPण एवं

पदा"धकार?/
2वारा
2वारा अनुसू"चत

अनुशंसा पर Hवभाग
राजभाषा Hवभाग

अपील) ,

Hवशेष पदा"धकार?

/नयुि8त
/नयमावल?,1930

-लएना-मत सदYय,

उप स"चव - सदYय स"चव।

3 उप नगर आयु8त स-म/त क1

Hवभागीय 3ोMन/त तथैव

5

(- स H व ल

		झारख)ड गजट (असाधारण) Y	सोमवार, 28जुलाई, 2014 अनुसूची-1(ख) अ-भयंPण संवग>ीकत Mयनतम शOgणक	/नयो8ता
सेवा संवग> मK jम-लत पद9 नाम 2 कनीय अ-भयंता Hवल एव याz	क ता P क	वेतनमान / पे –बRड पद एवं ेड- पे स 3 P. B.-II-56$0) 9300-34800 G.P.-4200	9 क1 या 4 1 ¾ 57 झारख) अन /न योbयता / अहता> 5 सीधी भतf के -लए _कसी माMयता 3ाIवत क1 zबावHव2यालय / संYथान से -सHवल या याzPक मK ~डVलोमा।	6 ड कमचार? चयन आशसा पर /नदशक]]]] न /नयु8त _कया जायेगा।
हायक अ-भय) /अधीOता क तकन सलाहकार क अ-भयतायक अ-भय	ता ण ी क 1 प ता	Qरव P. B.-II- 9300-34800 G.P.-54	25252525 /नयुि8त एवं 3ोMन/त Hवभा के पद अनश स सीधी भतf के -लए 503/त _कसी माMयता 3ाIवत (-सHव 03030303 Hवाव Hव2यालय	गीय 3ोMन/त स-म/त ा पर कल Yवीकत प शत पद कनीय अ-भ ल /यांzPक) ाग 2वारा भर जायगष5050505 03/तशत पद9 पर)ड लोक सवा आयोग ा पर Hवभाग 2वारा /नयुि8त क1 जायKगी।
पालक अ-भ य अ-भयता नीक1	य ता क	PB-III-15600-39100 G.P.-6600	माMयता 3ाIवत सYथान अनश से -सHवल या याzPक / मK Yनातक। 15151515 3ोMन/त के पद Hवभा	गीय 3ोMन/त स-म/त 1003/तशत पद /त स Hवभाग 2वारा जायKगे।

क1 3ोMन/त

अनुसू"चत जा/त

संयु8त स"चव

/अनुसू"चत

-

(

}ं0

कार>वाई हेतु संगत

/नयमावल?

1

1

1003/तशतपदपर

अ	धीOण अ-	झारख भयता	)ड गजट (असाधारण) सोमव PB-**IV**-37400-	◌ार, 28जुलाई, 2014 03030303 3◌ोMन/त के पद
मु	य नगर अ कनीय अ-भ (Hव2युत)	-भयता यता)	67000 G.P.-8700 PB-**IV**-37400- 67000 G.P.-8900 P. B.-II- 9300-34800 G.P.- 4200	06060606 3◌ोMन/त के पद 07070707 सीधी भतf के -लए _कसी माMयता 3◌IVत HवावHव2यालय /संYथान से Hव2युत मK
सहायक अ-भयंता (Hव2युत)			P. B.-II- 9300-34800 G.P.- 5400	~डVलोमा। 03030303 3◌ोMन/त के पद

Hवभागीय 3◌ोMन/त स-म/त क1
3◌ोMन/त से Hवभाग 2वारा भरे

जा
य
K
गे
।

1

0
0
3
/
त
श
त

प
द

-लए ना-मत सदYय
उप स"चव,

/नयंPण एवं
अपील)/नयमावल?]
1
9
3
0

व
ग
f
क
र
ण

1
3

-लए ना-मत सदYय]
उप स"चव -सदYय स"चव

6
7
8
कम>चार? चयन आयोग
अTयO]
उड़ीसा

झारख)ड
/नदेशक-
zबहार एवं

क1 अनुशंसा पर
/नदेशक,नगर?य
का-म>क
3शास/नक सुधार
तथा अवर सेवाएँ
3शासन 2वारा
100राजभाषा
Hवभाग 2वारा
अनुसू"चत
(अनुशासन एवं
पर /नयु8त
_कया
जायेगा।
जा/त/
अनुसू"चत
जनजा/त के
अपील

सहायक /नदेशक -सदYय स"चव।

3

स
हा
य
क

क
र

अ
धी
O
क

भै|युएशन आ◌ॅ_फसर
ए
वं

टै
8
स

सु
प
Q
र
टे
M
ड
K
ट

रा
ज
Y
व

प
दा
"
ध
का
र
?
का

प
द

ए
क
1
कृ
त
)

(
ए
से
Y
म
K
ट

ए
)
ड

		झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, वेतनमान / पे –बRड Mयनतम	28जुलाई, 2014 अनस राजYव एशOgणक Yवी	ची-1 (गव लखा कत पद9	) सवग	/नयो8ता
2		एवं ◌ैड- पे योbयता 3 **PB-I-5200-20200** _कसी मा**M**य **G.P.-2400** Hवावहव2य वाgण=य / Yन	/अहता क 1 4 ता 3◌IVत ◌ालय स अथशाYP	क1 संया 2वारा 100		5 61 जायेगा।
		PB-I-5200-20200 3◌ोMन/त क **G.P.-2800**	पद			
सहायक		**PB-II-9300-34800** 3◌ोMन/त के पद **G.P.-4200**		03		

				24 03 स-म/त 2वारा 100

प
र

स
हा
य
क

क
र

अ
धी
O
क

क
1

/
न
दे
श
क
]

]

]

]

न
ग
र
?
य

3
शा
स
न

क

1

/ न दे श क]

]

]

]

न ग र ? य

3 शा स न

क 1

अ T य O ता

म K

ग d ठ त

3 ो M न / त

अ T य O

ता मK गdठत 3ोMन/त पर राजYव /नर?Oक क1

3ोMन/त से भरK जायKगे।

3ोMन/त से भरK जायKगे।

स
हा
य
क

/
न
दे
श
क

–
स
द
Y
य

स"चव

तथैव।

तथैव।

तथैव।

तथैव।

तथैव।

}ं0 सेवा संवग> मK
सिjम-लत पद9 के
नाम/नयमावल?

1 6

1 राजYव /नर?Oक
कम>चार? चयन आयोग
अTयO] zबहार एवं उड़ीसा

झारख)ड
/नदेशक-

क1
अनुशं
सा
पर
/नदे
शक]
]]]

नगर?
य
3शास
न
2वारा
100

3/तशत
पद पर
/नयु8त
_कया

-लए ना-मत सदYय, उप
/नदेशक- सदYय]

झारख)ड गजट (असचीफ एसेYमKट एवं **PB-II- 15600-39100** **G.P.-6600** भै|युएशन पदा"धकार?	ाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014 **100** 3ोMMन/त के पद	03	15 अनुशंसा पर 100

			ऑ_फसर
काया>लय सहायक- सह-**PB-I-5200-20200** **G.P.-1900** पाललेखा	**00** _कसी माMयता 3ाIVत HावाHव2यालय / संYथान से अथ>शाYP / गgणत /वाgण=य मK Yनातक एवं ~डVलोमा इन कंVयूटर	40	
लेखापालकै-शयर-सह -**PB-I-5200-20200** **G.P.-2800**	**00** **0** 3ोMन/त के पद	42	स-म/त 2वारा 100
सहायक लेखा **PB-I-9300-34800** **G.P.-4200** पदा"धकार?	**00** **0** 3ोMन/त के पद	05	स-म/त 2वारा 100

पर 3ोMन/त 2वारा भरK जायKगे।

प
र

3
ो
M
न
/
त

2
वा
रा

भ
र
K

जा
य

Kगे। /नदेशक,नगर?य 3शासन क1 /नदेशक,नगर?य 3शासन क1 अTयOता मK ग

d
ठ
त

3
ो
M
न
/
त

अ
T
य
O
ता

म
K

ग
d
ठ
त

3
ो
M
न
/
त

जा
ये
गा
।

-लए ना-मत सदYय, उप

/नदेशक- सदYय]

स"चव।

तथैव।

तथैव।

पर
सहायक
राजYव
पदा"ध
कार?

/एसेY
मKट
ए)ड
भै|युए
शन
का-
म>क
3शास/
नक
सुधार

टै
8
स

सु
प
Q
र
टे
M
ड
K
ट

क
1

/

3ोMन/त
से Hवभाग
2वारा भरे
2वारा
अनुसू"चत
जा/त /

जा
य
K

गे।

अनुसू"चत जनजा/त के

-लए ना-मत सदYय

उप स"चव,-सदYय

स"चव।

5
कम>चार? चयन आयोग
अTयO]
एवं उड़ीसा

झारख)ड
/नदेशक-
zबहार

क1
अनु
शंसा
पर
/नदे
शक,
नगर?
य
3शास
न
2वारा
100

3/तशत
पद पर
/नयु8त
_कया

लेखा पदा"धकार? **PB-II-15600-39100** **G.P.-5400**	**100**
मुय लेखा पदा"धकार? **PB-II-15600-39100** **G.P.-6600**	**100**

16 झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014

8

/नयुि8त एवं 3ो्नMन/त के
Hवभागीय 3ोMन/त स-म/त क1
असै/नक सेवायK

21
3धान स"चव/

स"चव –

पदसीधी भतf के -लए

अनुशं
सा पर कुल Yवीकृत पद अTYO, संयु8त (
_कसी माMयता 3ाVत 253/तशत पद सहायक स"चव-
सदYय,एवं

HवावHव2यालय से अथ>शाYP लेखा
पदा"धकार? क1 3ोMन/त से का-म>क 3शास/नक सुधार
/गgणत /वाgण=य / Hवभाग
2वारा भरK जायंेगे एवं तथा
राजभाषा Hवभाग 1930

साियक1 मK Yनातक

75

3/तशत पद झारख)ड 2वारा अनुसू"चत जा/त /

लोक
सेवा
आयोग
क1
अनुशंसा

पर
Hवभाग
2वारा -
सधी
/नयुि8त
-लए ना-
मत
सदYय

क
1

जा
ये
गी
।
उ
प

स
"
च
व
,
-
स
द
Y
य

स"चव।

9 3ाMन/त के पद 01

Hवभागीय 3ाMन/त स-म/त क1 तथैव।

अनुशंसा पर कुल पद 3ाMन/त

से Hवभाग 2वारा भरे जायKगे

झारख)ड गजट (असाधारण) सोमवार, 28जुलाई, 2014

17

अनुसूची-2

}०संवग>पर?O ा का Hवdहत पा□य}म

1 3शास/नक संवग> सहायक नगर आयु<त/ वशेष पदा?धकार./ काय,पालक पदा?धकार. झारख)ड लोक सेवा आयोग के 2वारा आयो िजत संयु8त

असै/नक सेवाएँ 3/तयो"गता पर?O ा के -लए समय –समय पर /नधा>Qरत / लागु पा□य}म तथा उ8त पर?O ा के माTयम से /नयुि8त

हेतु
अनुशंसा
क1
जाएगी.

2 अ-भयंPण संवग> 1.) कनीय अभयंता (सवल /पArवहन /यांBCक/वयुत्)

कनीय अ-भयंता (-सHवल , यांzPक , पQरवहन एवं Hव2युत्) क1 /नयुि8त हेतु झारख)ड कम>चार? चयन आयोग 2वारा आयो िजत

कनीय अ-भयंता संवग> के -लए आयो िजत 3/तयो"गता पर?O ा हेतु समय –समय पर /नधा>Qरत / लागु पा□य}म तथा उ8त पर?O ा के

माTयम से /नयुि8त हेतु
अनुसंशा क1 जाएगी .

2.)सहायक अभयंता
(वयुत/यांBCक/पArवहन/सवल)

झारख)ड लोक सेवा आयोग 2वारा असै/नक (-सHवल)/ यांzPक (मेके/नकल)/ Hव2युत अ-भयंPण संबग> के -लए आयो िजत संयु8त

सहायक अ-भयंता /नयुि8त पर?O ा के माTयम से _कया जायेगा एवं उ8त पर?O ा के -लए /नधा>Qरत पा□य}म इस संवग> के /नयुि8त

पर लागू रहेगा तथा उ8त पर?O ा के माTयम से /नयुि8त हेतु अनुशंसा क1 जायेगी।

3 राजYव 1.राजYव /नर?Oक/

एवं झारख)ड कम>चार? चयन आयोग 2वारा राजYव /नर?Oक एवं सहायक राजYव पदा"धकार? के /नयुि8त हेतु समय- लागू समय पर

लेखा संवग> /नधा>Qरत /पा□य}म तथा उ8त पर?O ा के माTयम से /नयुि8त हेतु अनुशंसा क1 जायेगी।

2.काया,लय सहायक -सह- लेखापाल

झारख)ड कम>चार? चयन आयोग 2वारा काया>लय सहायक –सह – लेखापाल क1 /नयुि8त हेतु समय –समय पर /नधा>Qरत /लागु

पा□य}म तथा उ8त पर?O◌ा के माTयम से /नयुि8त हेतु अनुशंसा
क1 जायेगी।

3..लेखा पदा?धकार.

झारख)ड लोक सेवा आयोग के 2वारा आयोि◌जत लेखा पदा"धकार? 3/तयो"गता पर?O◌ा के -लए समय –समय पर
/नधा>Qरत / लागू/

पा□य}म तथा उ8त पर?O◌ा के माTयम से /नयुि8त हेतु अनुशंसा
क1 जायेगी।

अधीOक, झारख)ड राजक1य मु□णालय, राँची 2वारा 3का-शत एवं
मुd,, त,

झारख)ड गजट (असाधारण) 349—50 ।